

# समाहरणालय, पलामू

(जिला भू-अर्जन शाखा)

## सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अधिसूचना

(देखें नियम 6 का उप-नियम (1))

संख्या :- 250

पलामू दिनांक :- 20/05/2017

भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परिदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 धारा-4 के प्रावधानों के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 191 दिनांक 09.07.2016 के द्वारा अमानत पुल परियोजना हेतु ग्राम बटसारा में गैरमजरूआ बन्दोबस्त भूमि पलामू अंचल के ग्राम बटसारा के लिए Nodal Officer, Nilamber Pitamber, University Medininagar, Palamau को अनुरोध किया गया था। Nodal Officer, Nilamber Pitamber, University Medininagar, Palamau के द्वारा उक्त परियोजना हेतु SIA का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। एतद् द्वारा अमानत पुल परियोजना हेतु ग्राम बटसारा में गैरमजरूआ बन्दोबस्त भूमि के अधियाचना के आलोक में पलामू अंचल के ग्राम बटसारा में भूमि रकबा 1.10 एकड़ भूमि का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करने हेतु अधिसूचना निर्गत की जाती है।

- परियोजना का नाम :- अमानत पुल परियोजना हेतु ग्राम बटसारा में गैरमजरूआ बन्दोबस्त भूमि मौजा- बटसारा, जिला पलामू।
- ग्राम का नाम :- बटसारा, थाना सं0-203, राजस्व थाना-पड़वा, पुलिस स्टेशन-पड़वा, अंचल-पड़वा, जिला-पलामू।
- भूमि की विवरणी-

खाता संख्या	प्लॉट संख्या	कुल खतियानी क्षेत्र (रकबा)	अर्जन किया जाने वाला क्षेत्र फल	अर्जन की जाने वाली भूमि की चौहद्दी उ0, द0, पू0, प0	भूमि का वर्गीकरण	खतियानी रैयत का नाम	पूरा पता सहित वर्तमान रैयत का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
149	837	-	0.48	उ0-837 द0-N.H-75 पू0-N.H-75 प0-837	-	रैयती	सुदर्शन सिंह पिता-केशवर सिंह, ग्राम-सिंगरा
10	840	-	0.45	उ0-N.H-75 द0-अमानत नदी पू0-N.H-75/841 प0-840	-	गैरमजरूआ मालिक	-
1	841	-	0.17	उ0-840 द0-840 पू0-N.H-75 प0-840	-	बकास्त	1. बालकेश सिंह पिता-रामप्रताप सिंह, 2. कमता प्रसाद सिंह, पिता-दुखन सिंह, 3. रघुपति सिंह, पिता-चुलहन सिंह, ग्राम-कजरी
		कुल	1.10				

जगावंदी संख्या	आवासीय घरों की संख्या	व्यावसायिक भवनों की सं0	वृक्षों की सं0	टंकी	तालाब	बोरिंग	अन्य संरचना
9	10	11	12	13	14	15	16
x	1	1	x	x	x	1	x

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का प्रतिवेदन अध्याय II के अन्तर्गत धारा-4 (4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के अन्तर्गत अन्य मामलों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात :-

(क) इस बात का निर्धारण कि क्या प्रस्तावित अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है,

(ख) प्रभावित कुटुंबों का और उनमें से उन कुटुंबों की संख्या का प्राक्कलन, जिनके विस्थापित होने की संभावना है,

- (ग) ऐसी सार्वजनिक एवं प्राइवेट भूमि, मकानों, बन्दोबस्तों और अन्य समान संपत्तियों की सीमा, जिनके प्रस्तावित अर्जन से प्रभावित होने की संभावना है,
- (घ) क्या अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा उस परियोजना के लिए पूर्णतया यथार्थ न्यूनतम सीमा तक की ही है,
- (ङ) क्या किसी आनुकल्पिक स्थान पर भूमि का अर्जन किए जाने पर विचार किया गया है और उसे साध्य नहीं पाया गया है,
- (च) परियोजना के सामाजिक समाघातों तथा उनको ठीक करने की प्रकृति और खर्च तथा इन खर्चों का परियोजना के समग्री खर्च पर परियोजना के फायदों की तुलना में समाधान के अध्ययन: परन्तु पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अध्ययन, यदि कोई हो, साथ-साथ किया जाएगा और यह सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के पूरा होने पर निर्भर नहीं करेगा।

(5) समुचित सरकार, उपधारा (1) के अधीन सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का कार्य हाथ में लेते समय अन्य बातों के साथ उस समाघात पर विचार करेगी जो कि परियोजना से विभिन्न घटकों पर जैसे कि प्रभावित कुटुंबों की जीविका, सार्वजनिक और सामुदायिक संपत्तियों, आस्तियों तथा अवसंरचना, विशिष्टतया सड़कों, लोक परिवहन, जल-निकास स्वच्छता, पेयजल के स्रोतों, पशुओं के लिए जल के स्रोतों, सामुदायिक जलाशयों, चरागाह भूमि, बागानों, जन सुविधाओं पर जैसे कि डाकघर, उचित दर दुकानों, खाद्य भंडारण गोदाम, विद्युत प्रदाय, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, विद्यालय और शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण सुविधाएं, आंगनबाडी, बाल उद्यान, पूजा स्थल, पारम्परिक जनजातीय संस्थाओं और कब्रस्थान तथा श्मशान घाट के लिए भूमि, पर पड़ने की संभावना है।

धारा 5 जब कभी धारा 4 के अधीन सामाजिक समाघात निर्धारण तैयार करने हेतु, समुचित सरकार, लोक सुनवाई के लिए तारीख, समय और स्थान के बारे में पर्याप्त प्रचार करने के पश्चात् प्रभावित कुटुंबों के मतों का सामाजिक समाघात का सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट में अभिलिखित और सम्मिलित किया जाना अभिनिश्चित करने के लिए प्रभावित क्षेत्र में लोक सुनवाई के किए जाने को सुनिश्चित करेगी।

धारा 6 (1) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट तथा धारा 4 की उपधारा (6) में निर्दिष्ट सामाजिक समाघात प्रबंध योजना तैयार की जाए और, यथास्थिति, पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम को तथा जिला कलक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट और तहसील कार्यालयों में स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराई जाए और प्रभावित क्षेत्रों में ऐसी रीति में जो विहित की जाए, प्रकाशित की जाए और समुचित सरकार की वेबसाइट पर अपलोड की जाए।

एस0 आई0 ए0 की अधिसूचना के लिए नियम 6 का उप नियम (i) शामिल होंगे।

- (i) परियोजना का नाम, प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, परियोजना क्षेत्र और एस0 आई0 ए0 द्वारा आच्छादित प्रभावित क्षेत्र।
- (ii) एस0 आई0 ए0 के प्रमुख उद्देश्य और मुख्य क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत है (क) परामर्श (ख) सर्वेक्षण (सर्वे) (ग) लोक सुनवाई/सुनवाईयाँ।
- (iii) एस0 आई0 ए0 के लिए टाईमलाइन और अंतिम परिदेय (एस0 आई0 ए0 प्रतिवेदन और एस0 आई0 एम0 पी0) साथ ही उनके प्रकटीकरण की रीति को विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- (iv) यह कथन कि इस अवधि के दौरान प्रपीड़न अथवा भय उत्पन्न करने की कोई कोशिश हुई है तो यह इसे अकृत और शुन्य कर देगा। राज्य एस0 आई0 ए0 इकाई की सर्म्पक सूचना अंकित की जाए। यह अधिसूचना भू-अर्जन अधिनियम 2013 के धारा 4 एवं नियमावली 2015 की अध्याय II के कंडिका 6 (4) के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।



उपायुक्त, पलामू।